राज्यपाल सचिवालय
झारखण्ड, राँची-834008

सत्यमेव जयते

दूरभाष : 0651-2283465
2283466
2283467
फैक्स : 0651-2201101

पत्रांक-वैधा-210/2005- 903 /रा0स0 राँची, दिनांक-13.05.2016
16

प्रेषक,

एस0 के0 सतपथी
राज्यपाल के प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य सचिव,
झारखण्ड, राँची।

विषयः- झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विधेयक, 2016 के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विधेयक, 2016 (सभा द्वारा यथापारित) पर संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल महोदया की स्वीकृति हेतु उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की संचिका संख्या-01/विविध-43/15 के माध्यम से राज्य सरकार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

2. उपर्युक्त झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विधेयक, 2016 (सभा द्वारा यथापारित) पर माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा दिनांक-11.05.2016 को अनुमति प्रदान कर दी गई है तथा उक्त तर्ज पर झारखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद् के गठन पर इच्छा प्रकट की गई है। अतएव, माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा हस्ताक्षरित मूल विधेयक की एक प्रति के साथ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की संचिका संख्या-01/विविध-43/15 संलग्न कर वापस की जाती है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक-यथोक्त।

राज्यपाल के प्रधान सचिव

झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विधेयक, 2016

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विधेयक, 2016

(सभा द्वारा यथापारित)

प्रस्तावना

राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योजना एवं कार्यान्वयन, अनुश्रवण (प्रबोधन) तथा मूल्यांकन, गुणवत्ता सुनिश्चित करने, परामर्श और निधिकरण हेतु उपयुक्त प्रावधान के लिए अधिनियम।

चूँकि यह समयोचित है कि सरकार, विश्वविद्यालयों, अकादमियों और विश्वविद्यालयों के बीच सामूहिक सहक्रियात्मक संबंध स्थापित करने हेतु सरकार और विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों एवं उच्च स्तरीय नियामक संस्थाओं के मध्य परिचालनात्मक अंतराल के साथ (i) सरकार के नीति–निर्माण एवं सापेक्ष योजनाओं में अकादमिक उत्कृष्टता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने, (ii) राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के मध्य स्वायत्तता, जवाबदेही और समन्वयन को सुनिश्चित करने, और (iii) राज्य की सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के मैत्रीपूर्ण विकास को निर्देशित करने के उद्देश्य से राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना की जाय।भारतीय गणराज्य के 67वें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधानसभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :–**

   i. यह अधिनियम झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।

   ii. इसका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण झारखण्ड राज्य होगा।

   iii. यह राज्य के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. **परिभाषा** – अगर इस अधिनियम के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित/आवश्यक हो :–

   i. 'संबद्ध संस्थान' से आशय है वैसे संस्थान जो अपने शासी निकाय के द्वारा संचालित व नियंत्रित हों।

   ii. 'ए आई एस एच ई' से आशय है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा से संबद्ध अखिल भारतीय सर्वेक्षण) जो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर की गई है।

   iii. 'शीर्ष नियामक संस्थान' का अर्थ है नियामक संस्था जिसे संसद के अधिनियम द्वारा विशिष्ट प्रकृति की संस्थाओं के अभिशासन हेतु गठित किया गया हो।

iv. 'अध्यक्ष' का आशय वह व्यक्ति है जिसे राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के अधिनियम के आधार पर नियुक्त किया गया हो।

v. 'परिषद्' से आशय है – राज्य की विधायिका द्वारा गठित झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद्।

vi. 'कार्यपालक निदेशक' यानी परिषद् के सदस्य सचिव, जिनकी नियुक्ति राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम द्वारा सुनिश्चित प्रावधानों के तहत हो।

vii. 'सरकार' का आशय है झारखण्ड सरकार।

viii. 'उच्च शिक्षा' का अर्थ है – व्यावसायिक, तकनीकी या अन्य तरीके से डिग्री या डिप्लोमा के रूप में विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में प्राप्त शिक्षा।

ix. 'संस्थान' यानी ऐसे संस्थान, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम/प्रस्तावित किये गये हों।

x. 'सदस्य' से आशय राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के सदस्य जिनमें परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं।

xi. एम०आई०एस० (प्रबंधन सूचना तंत्र) से आशय है कार्यक्षमता एवं प्रभावी रणनीतिक निर्णय लेने हेतु प्रबंधन का सूचना तंत्र।

xii. 'एन ए ए सी' से आशय है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्', जिसकी स्थापना विशिष्ट उच्च शिक्षण संस्थानों की 'गुणवत्ता स्थिति' के श्रेणी–निर्धारण के लिए की गयी है ।

xiii. 'निजी विश्वविद्यालय' से आशय है – राज्य के वैसे विश्वविद्यालय, जिनकी स्थापना "झारखण्ड राज्य के निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमीकरण के लिए आदर्श मार्गदर्शन" के अनुरूप हुई हो।

xiv. 'नियमनों' का अर्थ है वैसे नियमन जो राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा बनाये गये हों।

xv. 'नियम' का अर्थ है वैसे नियम जो राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा निर्मित हों।

xvi. 'राज्य विश्वविद्यालयों' से आशय है – राज्य सरकार द्वारा संचालित, प्रबंधित और नियंत्रित विश्वविद्यालय।

xvii. 'परिनियम', 'अध्यादेश', 'नियमन' से आशय है विश्वविद्यालय की वैसी परिनियमों, अध्यादेशों और नियमनों से जो किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध अधिनियम के अनुरूप जारी किये गये हों।

xviii. तकनीकी विश्वविद्यालय का अर्थ वैसे विश्वविद्यालय से है, जिनकी स्थापना तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के परामर्शी, उद्यमशीलता, सतत् शिक्षा कार्यक्रमों, स्वायत्त महाविद्यालयों/संस्थानों और सम्बद्ध अंगीभूत एवं निजी महाविद्यालयों/संस्थानों के माध्यम से समाज में मूल्य निर्माण एवं सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से की गई हो।

xix. 'उपाध्यक्ष' यानी राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम के अनुसार नियुक्त उपाध्यक्ष।

3. **परिषद् का संविधान** :

i. सरकार अधिसूचना के द्वारा, उस तिथि के प्रभाव से जो इसमें उल्लिखित हो, परिषद् संस्थापित करेगी, जिसे झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् कहा जाएगा।

ii. परिषद् एक ऐसी सम्मिलित निकाय संस्था होगी जो सतत् पद–प्राप्ति अनुक्रम और सामान्य प्रतिज्ञा के तहत तथा कथित एक नाम के साथ संचालित होगी जिसे वाद चलाने का अधिकार होगा और जिस पर वाद दायर किया जा सकेगा।

iii. प्रावधानों के अनुरूप परिषद् को चल और अचल सम्पत्ति ग्रहण करने और उस पर अधिपत्य रखने का अधिकार होगा और इस प्रावधान के अंतर्गत निर्मित कानून के अनुरूप इसकी सम्पत्ति को हस्तांतरित करने या ठेके पर देने तथा ऐसा कोई भी कार्य करने का अधिकार होगा जो इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हो।

iv. परिषद् का मुख्यालय राँची में अवस्थित होगा।

4. **परिषद् के उत्तरदायित्व और कार्य** :

i. परिषद् के निम्नलिखित उत्तरदायित्व एवं कार्य होंगे :–

(a) राज्य की सरकार, सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को सुझाव/परामर्श देना ;

(b) राज्य के अंतर्गत उच्च शिक्षा में सरकार, सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों एवं शीर्ष नियामक अभिकरणों की भूमिकाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना ;

(c) अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता को अक्षुण्ण रखते हुए उन्हें उच्च शिक्षा की सामान्य सुविधाएँ मुहैया कराना ;

ii. उपर्युक्त दायित्वों और कृत्यों के प्रोत्साहन के लिए परिषद् को निम्नलिखित उत्तरदायित्व लेने होंगे :–

(a) सरकार के सुझाव या विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों के अनुरोध पर स्वतः संज्ञान लेकर राज्य में उच्च शिक्षा के विकास हेतु 'राज्य उच्च शिक्षा योजना' (SHEP) प्रतिपादित एवं प्रस्तुत करना;

(b) राज्यकीय संस्थानों तथा संबद्ध संस्थानों को उनकी योजनाओं के प्रतिपादन की प्रस्तुति एवं अमल के लिए यथेष्ट सहायता उपलब्ध कराना;

(c) राज्य उच्च शिक्षा योजना (SHEP) के अमल की प्रक्रिया का अनुश्रवण ;

(d) नियतकालिक सांख्यिकी का राज्य एवं संस्थागत स्तर पर एकत्रीकरण एवं उनका अनुरक्षण ;

(e) प्रबंधन सूचना तंत्र (MIS) का सृजन एवं अनुरक्षण ;

(f) राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षा अभिकरणों (एजेंसियों) द्वारा विकसित मानदण्डों के आधार पर संस्थाओं का मूल्यांकन करना ;

(g) परिवर्तित हो रहे सामाजिक परिदृश्य एवं अकादमिक आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में सुधार हेतु सुझाव देना एवं उनकी गुणवत्ता को बरकरार रखना ;

(h) परीक्षाओं की गुणवत्ता का सुनिश्चयन और परीक्षाओं में सुधार हेतु सुझाव देना ;

(i) शोध और शिक्षा प्राप्ति (अधिगम प्रक्रिया) के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु आवश्यक कदम उठाना ;

(j) राज्य के संस्थानों की स्वायत्तता को संरक्षित करना और राज्य के विश्वविद्यालयों के परिनियमों, अध्यादेशों और नियमनों का समय–समय पर पुनरीक्षण तथा शिक्षा में सामाजिक न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं शिक्षा में अकादमिक उत्कृष्टता के कार्यान्वयन हेतु समुचित सुधार के लिए सुझाव एवं विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को परिनियमों, अध्यादेशों एवं नियमनों के निर्माण में परामर्श देना ;

(k) उच्च शिक्षा के नये संस्थानों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान करना ;

(l) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् से विमर्श कर प्रत्यायन हेतु सुधार के उपाय सुझाना ;

(m) उच्च शिक्षा में रणनीतिक निवेश हेतु राज्य सरकार को सलाह ;

(n) राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों और देश के भीतर एवं बाहर के संस्थानों के बीच अकादमिक प्रकृति से संबद्ध कार्यों हेतु मार्गदर्शिका विकसित करना ;

(o) इस अधिनियम के उद्देश्य के अनुरूप निधि का निर्माण एवं उपयोगिता हेतु प्रस्ताव तैयार करना ;

(p) सरकार अथवा सरकार द्वारा अधिकृत किसी अभिकरण के द्वारा प्रदत्त अनुदान की विमुक्ति के लिए सामान्य नियमावली का विकास तथा राज्य उच्च शिक्षा योजना (SHEP) के आधार पर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को निधि आवंटित करना ;

(q) उद्दिष्ट निधि का राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को ससमय निधि अंतरण हेतु प्रणाली विकसित करना ;

(r) उच्च शिक्षा में नीति–निर्धारण और उन्हें समुचित सुसाध्य बनाने हेतु विशेषज्ञों तथा स्टेकहोल्डर के व्यापक संभावित परामर्श प्राप्त करने के लिए विचार–विमर्श, कार्यशाला एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना ;

(s) अकादमी, उद्योग, कृषि एवं विज्ञान–क्षेत्र के बीच पारस्परिक तालमेल हेतु मंच उपलब्ध कराना ;

(t) केन्द्र तथा राज्य सरकार एवं भारत के केन्द्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष नियामक संस्थाओं के द्वारा प्रायोजित और उद्यमित विभिन्न कार्यक्रमों का समन्वयन करना।

5. <u>परिषद् का गठन :</u>

परिषद् निम्नलिखित सदस्यों के योग से बनेगा, यथा –

i अध्यक्ष

ii उपाध्यक्ष

iii राज्य परियोजना निदेशक (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान), जो परिषद् के कार्यकारी निदेशक (सदस्य सचिव) होंगे।

iv प्रधान सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

v कुलाधिपति द्वारा पाँच वैसे सदस्य मनोनीत किये जाएंगे जिनकी विद्वता अनुसरणीय हो, इनमें कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नागरिक समाज, उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्र के एक–एक सदस्य होंगे।

vi सरकार द्वारा पाँच वैसे सदस्य मनोनीत किये जाएंगे जिनकी विद्वता अनुसरणीय हो, इनमें कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नागरिक समाज, उद्योग, व्यावसायिक क्षेत्र के एक–एक सदस्य होंगे।

vii राज्य विश्वविद्यालयों के तीन कुलपति, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए चक्रानुक्रमानुसार मनोनीत किये जाएंगे।

viii राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालय के एक कुलपति।

ix राज्य में स्थापित तकनीकी विश्वविद्यालय के एक कुलपति।

x स्वायत्तशासी महाविद्यालयों के दो प्राचार्य, कुलाधिपति द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रानुक्रमानुसार मनोनीत होंगे।

xi अनुसरणयोग्य विद्वतापूर्ण ख्याति के तीन सदस्य परिषद् द्वारा सहयोजित किये जाएंगे।

xii भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक प्रतिनिधि का मनोनयन किया जाएगा।

6. **<u>अध्यक्ष</u>**

i. अध्यक्ष अधिमानतः प्रभावी नेतृत्वकारी गुणों से युक्त श्रेष्ठ अकादमिक या बौद्धिक ख्याति के होंगे।

ii. राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा गठित तीन सदस्यीय तलाश–सह–चयन समिति द्वारा प्राप्त अनुशंसा व चयन के आधार पर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता से बनी समिति अध्यक्ष का चयन करेगी। परिषद् प्रामाणिक अकादमिक/बौद्धिक ख्याति के दो सदस्यों को मनोनीत करेगी जबकि सरकार एक व्यक्ति का तलाश–सह–चयन समिति में मनोनयन करेगी। सरकार द्वारा नामजद प्रतिनिधि समिति की अध्यक्षता करेगा।

iii. अध्यक्ष सरकार द्वारा नियुक्त परिषद् के पूर्णकालिक पदाधिकारी होंगे।

iv. अध्यक्ष का कार्यकाल विस्तार–रहित पाँच साल के लिए होगा अथवा वे 70 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लें, इनमें से जो भी पहले हो।

v. अध्यक्ष को उपस्थित सदस्यों के दो–तिहाई के स्पष्ट बहुमत के अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मतदान से तथा तीन चौथाई सदस्यों के कोरम के साथ पदमुक्त किया जा सकेगा।

vi. अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे परिषद् के लिए किसी उपयुक्त मामले पर प्रतिवेदन की मांग कर सकते हैं और परिषद् की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु सुझाव दे सकते हैं।

vii. अध्यक्ष परिषद् और कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

viii. अध्यक्ष को देय वेतनमान एवं भत्ते विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतनमान एवं भत्ते के समतुल्य होंगे। यदि वे सेवानिवृत्त व्यक्ति होंगे तो उनके वेतन से पेंशन की राशि घटा दी जाएगी।

7. <u>उपाध्यक्ष</u> :

i. उपाध्यक्ष श्रेष्ठ प्रमाणित उच्चमान अकादमिक प्रशासक होंगे। यदि उपाध्यक्ष गैर अकादमिक व्यक्ति हो, तो उन्हें उद्योग आदि क्षेत्र का पेशेवर होना चाहिए, जिन्हें अपने कार्यक्षेत्र का पर्याप्त अनुभव हो (निदेशक के पद से नीचे का न हो)।

ii. सरकार उपाध्यक्ष की नियुक्ति तलाश समिति (सर्च कमिटी) की अनुशंसा पर करेगी। यह कमिटी परिषद् के अध्यक्ष (बतौर अध्यक्ष) और दो अन्य सदस्यों के योग से गठित होगी, जिनमें से एक सदस्य परिषद् द्वारा मनोनीत होगा तो दूसरा सरकार के द्वारा।

iii. उपाध्यक्ष का एक कार्यकाल विस्तार–रहित पाँच वर्षों का होगा अथवा वे 70 वर्ष की आयु के हो जाएँ।

iv. उपाध्यक्ष को अध्यक्ष अथवा परिषद् की अनुशंसा के द्वारा हटाया/पदमुक्त किया जा सकेगा।

v. उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

vi. उपाध्यक्ष को देय वेतनमान एवं भत्ते विश्वविद्यालय प्रोफेसर के समतुल्य होंगे। यदि वे सेवानिवृत्त व्यक्ति होंगे तो उनके वेतन से पेंशन की राशि घटा दी जाएगी।

8. **कार्यपालक निदेशक :**

i. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक ही परिषद् के पदेन कार्यपालक निदेशक होंगे।

ii. कार्यपालक निदेशक परिषद् के सदस्य सचिव होंगे और परिषद् के कार्यों के संयोजन का दायित्व वहन करेंगे।

iii. कार्यपालक निदेशक उन कृत्यों को भी सम्पन्न करेंगे, जो समय–समय पर उन्हें आदेशित किये जाएंगे।

9. **परिषद् के पदाधिकारी :**

परिषद् के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे, यथा :–

i. अध्यक्ष

ii. उपाध्यक्ष

iii. कार्यपालक निदेशक (सदस्य सचिव)

iv. प्रशासनिक पदाधिकारी

v. वित्त पदाधिकारी

10. **प्रशासनिक पदाधिकारी :**

i. प्रशासनिक पदाधिकारी परिषद् के पूर्णकालिक पदाधिकारी होंगे और ये विश्वविद्यालय से प्रतिनियुक्त व्यक्ति होंगे।

ii. प्रशासनिक पदाधिकारी किसी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में कम से कम 15 वर्षों के शिक्षण अनुभव रखनेवाले होंगे तथा उन्हें विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों का पाँच वर्षों का अनुभव भी होना चाहिए।

iii. प्रशासनिक पदाधिकारी परिषद् द्वारा नियुक्त किये जाएंगे।

iv. प्रशासनिक पदाधिकारी सामान्य प्रशासन के प्रभारी होंगे और अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त शक्तियों व दायित्वों का निष्पादन करेंगे।

v. प्रशासनिक पदाधिकारी अपने पैतृक विश्वविद्यालय से प्राप्त होनेवाले वेतन तथा भत्तों के अलावा प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्ति के हकदार होंगे।